

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द  
(श्री बृजमोहन बैरवा, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या :- 17/2017 (गुण्डा एक्ट)  
दायर दिनांक :- 01-09-2017  
निर्णय दिनांक :- 05-12-2017

अनवान

जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द

-----प्रार्थी

बनाम

श्री कैलाश चन्द पिता श्री भैरूलाल उर्फ भैरा दर्जी निवासी-  
बामनियां कला, पुलिस थाना रेलमगरा जिला राजसमन्द

-----अप्रार्थी, गे०सा०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :-

- 1- श्री शौकत अली अधिवक्ता रेस्पोजेंट
- 2- सहायक लोक अभियोजक

-:: निर्णय ::-

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय राजसमन्द के आदेश क्रमांक:एफ17/4(7)अअसा/2011/1527 दिनांक 01-03-2011 के अनुसरण में जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा अप्रार्थी/गे०सा० के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3(3) के तहत इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है । गैरसायल/अप्रार्थी के विरुद्ध निम्नांकित संज्ञेय अपराधों की ईतल्ला रिपोर्ट पुलिस थाना रेलमगरा में दर्ज हुई है :-

प्र०सं०	जुर्मधारा	नतीजा पुलिस (चालानन)	नतीजा अदालत
57/13	13 आरपीजीओ एक्ट	चार्जशीट नं. 29/18.02.2013	सजा 07.04.2014
280/16	13 आरपीजीओ एक्ट	चार्जशीट नं. 198/18.10.2016	सजा 09.11.2016

गैरसायल को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया । गैर सायल मय अधिवक्ता उपस्थित । गैर सायल को दिनांक 25-09-2017 को नोटिस सुनाया गया । गैर सायल द्वारा 5,000/- रुपये के जमानत मुचलके पेश किया गये । गैर सायल के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 06.11.2017 को जबाब पेश कर बहस की गई ।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई । सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि गैर सायल को 13 आरपीजीओ एक्ट के दो प्रकरणों में सजा हुई है । गैर सायल को 13 आरपीजीओ एक्ट के 02 प्रकरणों में दोष सिद्ध किया जा चुका है तो वह गुण्डा की परिभाषा में आता है । अतः यह स्पष्ट है कि गैर सायल को न्यायालय द्वारा 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत दोष सिद्ध कर दण्डित किया गया है । जिनकी नकल निर्णय पत्रावली में संलग्न है । गैर सायल की आदतों से समाज को खतरा है । अतः गैर सायल को जिला बदर किया जावे ।


गैर सायल के अधिवक्ता का तर्क है कि गैर सायल/विपक्षी के विरुद्ध 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत 02 प्रकरणों में दोष सिद्ध किया गया है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) 1 से 14 तक के अधीन अभ्यस्त प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है क्योंकि नोटिस जारी कि दिनांक से 6 माह पूर्व गैर सायल ने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है न ही ऐसा कोई रिकार्ड पत्रावली पर मौजूद नहीं है । गैर सायल के अधिवक्ता

38


द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की नजीर आर.एल.डब्लू 2002 (4) प्रस्तुत की है। अतः माननीय उच्च न्यायालय दृष्टान्त को रोशनी में रखते हुये गैर सायल के विरुद्ध कि जानी वाली विधि विरुद्ध कार्यवाही को इस स्टेज पर अपास्त किया जावे। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय में लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण करवाया हैं। गैर सायल गुण्डा नहीं हैं एक साधारण परिवार का गरीब व्यक्ति है। अतः गुण्डा एक्ट की कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जाकर अप्रार्थी को माफ किया जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । 13 आरपीजीओ एक्ट के अतर्गत कोई व्यक्ति 02 प्रकरणों में दोष सिद्ध किया जा चुका है तो वह गुण्डा की परिभाषा में आता है । विपक्षी को 02 प्रकरणों में 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत दण्डित किया गया है। जिनकी नकल निर्णय पत्रावली में संलग्न है । अतः यह स्पष्ट है कि गैर सायल को न्यायालय द्वारा 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत 02 प्रकरणों में दोष सिद्ध कर दण्डित किया गया है । पैरवी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रमाणों से मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं । गैर सायल के ऐसे कृत्य में अभ्यस्त होना निश्चित ही जन सामान्य में परेशानी एवं खतरे का सूचक है । गैर सायल को इन आरोपों के बचाव में साक्ष्य एवं प्रमाण पेश करने का समुचित व पर्याप्त अवसर दिया गया है, परन्तु गैर सायल ने इसके खण्डन में ऐसा कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किये है, जिससे कि पैरवी पक्ष के प्रस्तुत आरोपों एवं उसकी पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणों को न माना जा सके । गैर सायल के विरुद्ध प्रथमदृष्टया गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित आरोप प्रमाणित है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर गैर सायल श्री कैलाश चन्द पिता भैरूलाल उर्फ भैरा निवासी- बामनियां कला पुलिस थाना रेलमगरा जिला राजसमन्द के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत लगाये गये आरोप पूर्णतया सिद्ध होने से इन्हें 05 दिन के लिए जिला राजसमन्द की सीमा से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है कि वह बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के पांच दिन तक जिला राजसमन्द में प्रवेश नहीं करें। जिले से निष्कासन के दौरान गैर सायल प्रत्येक तीन दिवस को पुलिस स्टेशन मावली जिला उदयपुर में अपनी उपस्थित दर्ज करायेगा । यह आदेश गैर सायल की पुलिस स्टेशन, मावली में प्रथम उपस्थित तिथि से लागु होगा । गैर सायल की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक एवं थानाधिकारी को भेजी जावे ।

  
(बृजमोहन बैरवा)  
अति० जिला मजिस्ट्रेट  
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 05.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
(बृजमोहन बैरवा)  
अति० जिला मजिस्ट्रेट  
राजसमन्द